



चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी एक मौका चूक गई। ग्रीन को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी ने रिकॉर्ड २५.२0 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए- आर अश्विन

पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, कैमरान ग्रीन को लेकर बोलते हुए।

राजस्थान ने नागर हवली दमन दयू को 6-0 से हराया

जयपुर, 17 दिसम्बर। राजस्थान ने 6–0 से की विजय शुरुआत करते हुए विद्याभार नगर स्टेडियम मे प्रारम्भ हुई सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आगाज किया। पहले दिन 2 एंव ५ प्रथम मैच गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य खेला गया जिसमे गुजरात ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुऐ ३-0 से मैच जीता। मैच के ८वै एवं 7८ वे मिनट मे गुजरात के मोईनुद्दीन ने गोल किया इसके बाद मैच के ८९ वे मिनट मे धर्मेश से गोल करे के टीम को ३-० से विजय बनाया। दूसरा एवं उद्घाटन मैच राजस्थान और दादर और नागर हवली दमन दयू के मध्य खेला गया। मैच के दुसरे मिनट मे ही दादर नागर की टीम से आत्मघाती गोल कर राजस्थान टीम को 1–

0 की बढ़ात दे दी। इसके बाद राजस्थान ने विरोधी टीम के गोल पर भरसक प्रयास किया जिसकी बदौलत मैच के 44 वे मिनट मे राजस्थान के अमित ने दमन के रक्षापंक्ति को छकाते हुए शानदार गोल करे बढते को २–० से कर दी। मध्यन्तर तक राजस्थान ने यह बढत बरकरार रखी और मध्यन्तर के बाद राजस्थान ने अपना पारम्परिक अंदाज मे खेल का परिचय देते हुऐ मैच के ६२ वे मिनट राजस्थान के मुकेश से शानदार बाइसाइडल क्रिक से गोल करे के बढत ३–० कर दी। इसके बाद ७२ वे मिनट मे नीरज ने और ८१ वे मिनट मे मिलन और ८२ वे मिनट मे मुकेश से गोलकर मैच को ६–० से मैच अपने नाम किया। राजस्थान के मुकेश को प्लेयर ऑफ ऑफ द मैच चुना गया ।

जयपुर, 17 दिसम्बर। जयपुर कप सीजन– १ में आज के पहले मैच में केबी रॉयल्स

क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ३७.२ ओवर में २४० रन १० विकेट के नुकसान पर बनाए। राज ने ४६ और राकेश जांगिड़ ने ३९ रनों का योगदान दिया। एमसीजीक्रिकेट अकादमी की ओर से श्रेष्ठ पंत ने ३ , मि्तेश जांगिड़ और नयन माली ने दो–दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमसीजीक्रिकेट अकादमी ने २७.३ ओवर में २४३ रन ५ विकेट के नुकसान पर बना कर जीत हासिल कर ली। पुखराज कुमार ने १०४ और पंकज जांगिड़ ने ६१ रनों का योगदान दिया। केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी की ओर से धर्मेद्र यादव और

राहुल सैनी ने दो–दो विकेट लिया।मैन ऑफ द मैच पुखराज कुमार को चुना गया।

दूसरे मैच में संस्कार क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ३८.५ ओवर में ३०० रन १० विकेट के नुकसान पर

बनाए। आदित्य झाला ने ६५, हार्दिक ने ६१ और अभिषेक यादव ने ५५ रनों का योगदान दिया।कैडलविक क्रिकेट अकादमी की ओर से मानव ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैडलविक क्रिकेट अकादमी ३२ ओवर

में १८१ रन पर ऑल आउट हो गई। मेहुल सिंह ने सर्वाधिक ५९ रनों का योगदान दिया।

संस्कार क्रिकेट अकादमी की ओर से अभयराज ने तीन विकेट लिए। मैच का मैन ऑफ द मैच आदित्य झाला को चुना गया।

 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत अंशक, माकडगौरी रोड, पंजोली नगर, अजमेर, रेवेराइट www.energy.rajasthan.gov.in/avnvl			
विद्युत अधिनियम २००३ के अनुच्छेद ६४(२) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना			
सूचित किया जाता है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, अजमेर (डिस्कॉम द्वारा भी निर्दिष्ट) ने विद्युत अधिनियम २००३ के अनुच्छेद ६२ और ६४ संप्रदित रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनियन्त्रन की निबन्धन व शर्तों) विनियम २०१९ सम्मानुसार संशोधित, रा.वि.वि.आयोग (विद्युत दरों के विनियन्त्रन की निबन्धन व शर्तों) विनियम २०२५ तथा रा.वि.वि.आयोग (निवेश अनुमोदन) विनियम २००६ के अन्तर्गत विद्य. २०२४–२५ की समग्र राजस्व आवश्यकता की दृष्टि—अप, विव. २०२६–२७ के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष दायर की है। याचिका की प्रतियाँ निम्नलिखित / अवलोकन के लिए और रु. २०० /— के भुगतान पर विक्रय के लिए आयोग के कार्यालय और निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं। १. अनुज्ञापिका की मुख्यालय— विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर। २. कार्यालय सूचना आयोग (मुख्यालय), अविधिविनिः— ब्लांक-आई, हाथीभाटा पॉवर हाऊस, अजमेर—३०५००१। ३. अधीक्षण अभियन्ता (पवस), अजमेर / ब्यावर / भीलवाड़ा / उदयपुर / सलुम्बर / बुध्नु / नागौर / सीकर / थिरतीडगढ / बांसवाड़ा / राजसमन्द / डूंगरपुर / प्रतापगड / डोडवाणा—कुचामन स्थित कार्यालय। याचिका www.energy.rajasthan.gov.in/avnvl (अजमेर डिस्कॉम की वेबसाइट) और www.rerc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा इस याचिका का एक श्रव्य–दृश्य प्रदर्शन का आयोजन भी दिनांक २६.१२.२०२५ (रुज्जवार) को सभागार, विद्युत भवन, पंचशील नगर, अजमेर में दोपहर १२ बजे रखा गया है। इच्छुक व्यक्ति निम्नतः दिनांक व स्थान पर इस प्रदर्शन हेतु उपस्थित हो सकते हैं। टिप्पणी/सुझाव भेजने के इच्छुक व्यक्ति सहायक प्रमर्शों और राविविआ (कार्य सम्पादन) विनियम २०२१ के कार्य सं० ३ में शपथपत्र सहित प्राप्त अधिकारी, राविविआ, विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर— ३०२००१ के पते पर ६ प्रतियों में भेज सकते हैं जिससे कि ये प्राप्त अधिकारी के पास दिनांक ०९.०१.२०२६ तक या उससे पूर्व पहुँच जायें। विव. २०२४–२५ की समग्र राजस्व आवश्यकता की दृष्टि—अप, विव. २०२६–२७ के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं निवेश अनुमोदन की याचिका का संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है (याचिका संख्या २३७९/२०२५)—			
सारणी १ : विव. २०२४-२५ की समग्र राजस्व आवश्यकता की दू आ का सारांश (करोड़ रु.)			
क्र. सं.	विवरण	अजमेर डिस्कॉम	
		स्वीकृत	रू. अप के लिये किया गया दावा
१.	राजस्व		
२.	ऊर्जा विक्रय	२१,४९६	२०,९२६
३.	वित्त वर्ष २०२४–२३ की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष २०२३–२४ की पहली तिमाही के लिये पूरूल सरचार्ज की वसूली	१३०	
४.	ट्रेडिंग द्वारा ऊर्जा विक्रय	०	१२८
५.	गैर टैरिफ और अन्य टैरिफ आय (आरबीपीएन/ आरबीयून के दू–अप केडेट सहित)	४९७	८४३
६.	विद्युत परिवहन, प्रति सहायिकी और अतिरिक्त अधिभार से आय	४	३
७.	कुल राजस्व (अ)	२३,३६७	२१,८९९
८.	व्यय		
९.	ऊर्जा क्रय लागत प्रसारण शुल्क सहित	१५,६१६	१५,४५१
१०.	पवस व्यय	१५८२	१५१९
११.	सेवागत लाभ	५७०	७७१
१२.	हान्स	७०१	१११९
१३.	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज सहित)	७९८	८९५
१४.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	१५८	२०२४
१५.	विनियामक संपत्तियों पर ब्याज	१४८९	
१६.	अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो	०	(२)
१७.	बीमा व्यय	३०	१
१८.	अन्य व्यय (उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट सहित)	३१५	२२८
१९.	कुल व्यय स.रा.आ. (न)	२१२५९	२२००६
२०.	अधिशेष / (कमी) (स=अ–न)	२१०८	(१०७)
२१.	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सस्मिडी / अनुदान		
२२.	धारा ६५ के तहत सस्मिडी के अलावा राज्य सरकार से प्राप्त राजस्व सहायिकी (द)	१८	०
२३.	एफआरबीए योजना के तहत सस्मिडी (ई)	०	०
२४.	सस्मिडी के बाद राजस्व अधिशेष / (कमी) (ए=स+द–ई)	२१२६	(१०७)
२५.	वितरित भुगतान अधिभार (उपभोक्ताओं से) (जी)		१३४
२६.	असाधारण आय / (व्यय) (एच)		१९८२
२७.	कुल राजस्व अधिशेष / (अन्तर) दूआप (क=जी+एच)	२१२६	१७४२

सारणी २ : विव. २०२६-२७ के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (करोड़ रु. में)		
क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
१.	विद्युत क्रय व्यय	१४६६४
२.	पवस व्यय	
२.१	कर्मचारी व्यय	११६८
२.२	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय	२००
२.३	सम्मत एवं संचारण व्यय	५३०
२.४	सेवागत लाभ	८१८
३	हान्स	१६६३
४.	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज सहित)	१०४२
५.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	१९८
६.	नियामक संपत्ति पर ब्याज	८१३
७.	प्रसारण अधिभार	१३८०
८.	प.न.एल.डी.सी. / आर.एल.डी.सी. / एस.एल.डी.सी. अधिभार	९
९.	अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो	—
१०.	कुल राजस्व आय	२२७३६
११.	साम्प्रा पर प्रतिकूल	—
१२.	साम्प्रा पर कर	—
१३.	समग्र राजस्व आवश्यकता	२२७३६
१४.	घटाये— गैर टैरिफ आय	५४६
१५.	घटाये— व्हीलिंग प्रभार से आय	३
१६.	घटाये—ब्रांस सस्मिडी से प्राप्तियां	०
१७.	घटाये— व्हीलिंग पर अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियां	३
१८.	बुध्दरा दरों से निवल समग्र राजस्व आवश्यकता (१३–१४–१५–१६–१७)	२०१८८
१९.	वर्तमान टैरिफ पर विद्युत विक्रय से आय	२२१९८
२०.	ट्रेडिंग गतिविधि से आय	१९४
२१.	नियामक अधिभार से राजस्व	२४६१
२२.	एफपीबीएस से राजस्व	४१५
२३.	पीओसी से राजस्व	४०
२४.	सरकार से सस्मिडी (हानि सहायिकी सहित)	५
२५.	मौजूदा टैरिफ पर वर्ष के लिये राजस्व अधिशेष / कमी (१९+२०+२१+२२+२३+२४+२५)	३१२५
२६.	टैरिफ युक्तिकरण के बाद विद्युत की विक्री से राजस्व	२२१९४
२७.	युक्तिकरण के बाद राजस्व में वृद्धि / (कमी)	(४)
२८.	टैरिफ युक्तिकरण के बाद वर्ष हेतु अधिशेष / (घाटा) (२५+२७)	३१२१

सारणी ३ : राज्य परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (एम.यू.)	
विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
राज्य परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (एम.यू.)	३३,४१९

सारणी ४ : वितरण हानि (%)	
विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
वितरण हानियां (%)	७.५०%

डिस्कॉम ने विव. २०२६-२७ के लिये निवेदित योजना विनियामक प्रस्तावित की है:-		
सारणी ५ - वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिये निवेदित योजना तथा निविदन के स्कोर (करोड़ रुपये)		
क्र. सं.	योजना का नाम	राशि
१.	उप प्रसारण व वितरण	७००
२.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	१५२०
३.	आरडीएसएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	७००
४.	आरडीएसएस (आईटी / ओटी)	६४
५.	आरडीएसएस (सीडर धुक्करण)	२२४२
६.	आरडीएसएस (एसए- जैजीयूए)	२१

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
१.	विद्युत क्रय व्यय	१४४६४
२.	पवस व्यय	

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
२.१	कर्मचारी व्यय	११६८
२.२	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय	२००
२.३	मरम्मत एवं संधारण व्यय	५३०
२.४	रोवागत लाभ	८१८
२.५	हानस	१६६३

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
३.	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज सहित)	१०४२
४.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	१९८
५.	नियामक संपत्ति पर ब्याज	८१३
६.	प्रसारण अधिभार	१८३०
७.	एन.एल.डी.सी. /आर.एल.डी.सी. /एस.एल.डी.सी. अधिभार	९

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
४.	अशोध्य लेनदारियों का अपलेखन, यदि कोई हो तो	
१०.	कुल राजस्व आय	२२७३८

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
११.	साध्या पर प्रतिकल	—
१२.	साध्या पर कर	—
१३.	समग्र राजस्व आवश्यकता	२२७३८

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
१४.	घटायें — गैर टैरिफ आय	५४६
१५.	घटायें— वहीलेशन प्रभार से आय	३
१६.	घटायें—क्रास सस्मिडी से प्राप्तियां	०
१७.	घटायें— वहीलेशन पर अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियां	०

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
१८.	खुदरा दरों से निवल समग्र राजस्व आवश्यकता (१३–१५–१६–१७)	२२१८८
१९.	वर्तमान टैरिफ पर विद्युत विक्रय से आय	२२१९८
२०.	ट्रेडिंग मतिविधि से आय	१९४
२१.	नि्यामक अधिभार से राजस्व	२४६१
२२.	एफपीपीएस से राजस्व	४१५
२३.	पीओसी से राजस्व	४५
२४.	सरकार से सस्मिडी (हानि सहायिकी सहित)	०
२५.	मौजूदा टैरिफ पर वर्ष के लिये राजस्व अधिशेष / कमी (१९+२०+२१+२२+२३+२४+१८)	३१२५
२६.	टैरिफ युक्तिकरण के बाद विद्युत की विक्री से राजस्व	२२१९४
२७.	युक्तिकरण के बाद राजस्व में वृद्धि / (कमी)	(४)
२८.	टैरिफ युक्तिकरण के बाद वर्ष हेतु अधिशेष / (घाटा) (२५+२७)	३१२१

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
२९.	राज्य परिधि पर ऊर्जा आवश्यकता (एम.यू.)	३३,४१९
३०.	सारणी ३: वित्तदा हानि (%)	

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष २०२६–२७
३१.	वितरण हानियाँ (%)	७.५०%

क्र. सं.	योजना का नाम	राशि
१.	उप प्रसारण व वितरण	७००
२.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	१५२०
३.	आरडीएसएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	७००
४.	आरडीएसएस (आईटी / ओटी)	६४
५.	आरडीएसएस (फीडर पूंथकरण)	२२४२
६.	आरडीएसएस (डीए–जेजीपीए)	२१

लियोनेल मेस्सी

अर्जेन्टीना– के फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने अपने इंडिया टूर के समापन के बाद भारत के प्यार और स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। इस टूर में खूब मस्ती हुई और कुछ यादगार क्रॉसओवर पूरे देश में टुँड कर रहे थे। अपने इंस्टाटाम पर मेस्सी ने लिखा, "नमस्ते भारत!

क्या आप जानते हैं ?...
विराट कोहली की २०२५ में उल्लेखनीय निरंतरता ने उन्हें भारत के सर्वोच्च वनडे रन-स्कोरर का खिताब दिलाया, उन्होंने ६५१ रनों के प्रभावशाली स्कोर के साथ वर्ष का समापन किया।

राष्ट्रूत उदयपुर, १८ दिसम्बर, २०२५

दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की यात्राएं आविश्चरनीय रहीं। गर्मजोशी से स्वागत, शानदार आतिथ्य और पूरे दौर के दौरान मिले प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है !''

क्या आप जानते हैं ?...
विराट कोहली की २०२५ में उल्लेखनीय निरंतरता ने उन्हें भारत के सर्वोच्च वनडे रन-स्कोरर का खिताब दिलाया, उन्होंने ६५१ रनों के प्रभावशाली स्कोर के साथ वर्ष का समापन किया।

जयपुर ने बेदला को हराया, लांस वाटसन ने डबल हैट्रिक के साथ ८ गोल किये

जयपुर, १७ दिसम्बर। पीपीसी पोलो टाउंड पर जयपुर पोलो टीम और बेदलाके बीच मैच हुई अली ने १ गोल और लांस वाटसन ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए डबल हैट्रिक लगाते हुए ८ गोल कर टीम को जीत दिलाई।

की ओर से सिद्धांत शर्मा और फ्रेडरिक ने २-२ गोल किए। जयपुर पोलो टीम की ओर से खेला गया जिसमें जयपुर ने बेदला को ४.५ से मुकाबले ९ गोल से हराया। आधे गोल का एडवांटेज लेकर खेल रही बेदला पोलो टीम

क्र. सं.	कुल नियमियन के स्कोर	५२४८
१.	ऋण	१४१४
२.	अनुदान	१८२८
३.	अंशपूँजी	१८८१
४.	उपभोक्ता योगदान	१२५
	कुल	५२४८

क्रॉस सस्मिडी अधिभार, वहीलिंग प्रभार, अतिरिक्त अधिभार और ग्रीन पॉवर टैरिफ में बदलाव का प्रस्ताव भी डिस्कॉम ने निम्नानुसार दिया है—

श्रेणी	वोल्टेज (केवी)	सीएसएस (रु. प्रति यूनिट)
वृहद श्रेणी	१३२	१.७५
	३३	१.७५
	११	१.७५
	१३	१.७५
मिश्रित भार — एचटी	३३	१.७५
	११	१.७५
	१३२	१.७५
	३३	१.७५
अचरलू — एचटी	११	१.७५

सारणी ७ : वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए प्रस्तावित वहीलिंग प्रभार	(रु. प्रति यूनिट)
१३२ केवी पर वहीलिंग प्रभार	०.०१
३३ केवी पर वहीलिंग प्रभार	०.११
११ केवी पर वहीलिंग प्रभार	०.६३
एलटी वोल्टेज स्तर पर वहीलिंग प्रभार	२.४९

सारणी ८- वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार	(रु. प्रति यूनिट)
अतिरिक्त अधिभार	०.४७

सारणी ९ : विव. वर्ष २०२६-२७ के लिए एलएलटी वीएस पॉवर टैरिफ	(रु. प्रति यूनिट)
विवरण	
ग्रीन पॉवर टैरिफ	०.००*

* नोट. — डिस्कॉम ने उन उपभोक्ताओं से कोई प्रीमियम चार्ज नहीं लेने का प्रस्ताव दिया है जो डिस्कॉम से ग्रीन पॉवर लेना चाहते हैं। ग्रीन पॉवर उसी रेट पर दी जायेगी जो किसी सम्बंधित श्रेणी के लिये लागू है।

डिस्कॉम ने याचिका में किसी टैरिफ संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि, डिस्कॉम ने निम्नलिखित टैरिफ युक्तिकरण उपायों की मांग की है—

१. मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एम.पी./एचटी-३) के लिये न्यूनतम ऊर्जा शुल्क में कमी—

अनुसूची एम.पी./एचटी-३ मध्यम औद्योगिक सेवा के तहत ऊर्जा शुल्क वर्तमान में रुपये ६.५० प्रति यूनिट निर्धारित हैं। सभी लागू छूटों को शामिल करने के बाद, एचटी–३ श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम ऊर्जा शुल्क रुपये ६.३० प्रति यूनिट निर्धारित होता है। डिस्कॉम प्रस्तावित करता है कि एचटी-३ उपभोक्ताओं के लिये सभी छूटों के बाद न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क को ६.०० रुपये प्रतियूनिट तक संशोधित किया जाए, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क दर को ६.५० रुपये प्रति यूनिट पर अपरिचलित रखा जाए। इस समायोजन का उद्देश्य मध्यम औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इस संशोधन का लक्ष्य राज्य में सामर्थ्य बढ़ाने और औद्योगिक विकास को समर्थन मिलने हेतु निर्धारित किया है। यह संशोधन प्रचलित बाजार स्थितियों और आपूर्ति प्रवृत्तियों की लागत तथा याची की वित्तीय व्यवहार्यता की सुनिश्चितता को ध्यान में रख किया है।

२. सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग (पीएसएल) श्रेणी के लिये टॉडम–ऑफ–डे (टीओडी) टैरिफ हटाना—

डिस्कॉम सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग उपभोक्ता श्रेणी के लिये टॉडम–ऑफ–डे (टीओडी) टैरिफ की प्रोजेक्ताओं के लिये न्यूनतम ऊर्जा शुल्क रुपये ६.३० प्रति यूनिट निर्धारित करता है। सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग स्थापनाएं मुख्य रूप से शाम और रात के शुरुआती घंटों में, आम तौर पर सूर्यास्त से लेकर मध्यरात्रि या प्रबुध जल्दी तक होती है और लोड को अधिक-थीक समय में शिफ्ट नहीं लेना जा सकता है, जो टीओडी टैरिफ का मुख्य हिरा है। इसलिए, इन उपभोक्ताओं को न तो सोलर घंटों के दौरान लाभ कम टैरिफ का फायदा मिलेगा और न ही वे पीक आवर सरचार्ज से बच पायेंगे, जिससे टीओडी एप्लिकेशन पीएसएल श्रेणी के लिये असमान हो जायेगा।

३. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिये सिंगल–पाउंट टैरिफ की शुरुआत— भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने १७.०९.२०२४ को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन के लिये दिशा–निर्देश २०२४ जारी किये हैं। इन दिशा–निर्देशों का बंध ९ की गाइडलाइंस में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिये सिंगल पाउंट टैरिफ को कि ३१.०३.२०२८ तक सलाई की औसत आपूर्ति लागत यथा सोलर घंटों (सुबह ९ बजे से शाम ४ बजे तक) के दौरान ०.७xऔसत आपूर्ति लागत और नॉन–सोलर घंटों के दौरान १.३xऔसत आपूर्ति लागत पर कैंप होगा, की अनिवार्यता की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान में ईवी चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने के लिये, डिस्कॉम ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर लागू मौजूदा स्थायी शुल्कों को हटाकर एक–भार टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव करता है।

४. विद्युत आपूर्ति के लिये टैरिफ–२०२५ की परिभाषा १७ में संशोधन का प्रस्ताव: विद्युत आपूर्ति के लिये टैरिफ–२०२५ की परिभाषा १७ में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है—

अधिकतम मांग सूचक (एम डी आई) के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में दो से अधिक बार अधिकतम मांग ५० केवीए से अधिक पाये जाने पर एलटी से एचटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में, किसी वित्तीय वर्ष में तीसरी बार मांग ५० केवीए से अधिक होने पर सम्बंधित सहायक अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता को नोटिस दिया जाने के दो माह की अवधि के अन्दर–अन्दर ११ के.बी. पर आपूर्ति लेनी होगी, जिसमें विद्युत लेने पर उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा।

डिस्कॉम ने विद्युत आपूर्ति के टैरिफ के निम्न १७ में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें “दो से ज्यादा” वाक्यांश को ‘तीन’ से बदला जाए। मौजूदा शब्दों में अस्पष्टता है इसमें “दो से ज्यादा बार” का जिक्र है, जबकि तीसरे बार होने पर कार्रवाई की जरूरत है। टीसीओएस–२०२१ का बंध ४.८(६) निर्दिष्ट करता है कि अगर एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार अधिकतम डिमाण्ड ५ प्रतिशत से ज्यादा हो जाती है, तो चेंज ओवर लागू होगा। इसलिये डिस्कॉम ने पररावण दिया है कि परिभाषा १७ की टीसीओएस के साथ मिलाने से स्पष्टता, निरंतरता सुनिश्चित होगी और व्याख्या संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी।

५. ६ किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ताओं के लिये गैर–घरेलू श्रेणी में स्लैब का विलय

याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि गैर–घरेलू उपभोक्ताओं के लिये मौजूदा टैरिफ संरचना में कुछ जटिलताएँ हैं, जिससे परिचालन संबंधी चुनौतियाँ और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारदर्शिता और सरल टैरिफ अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिये, डिस्कॉम २०० यूनिट तक के लिये गैर–घरेलू स्लै